उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग –6

संख्याः 383/XXVII(6)/2013

देहरादून :दिनांक: 25 जून, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2\. उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमावली, 2003 के वर्तमान नियम 4 तथा नियम 5 (ग), (घ) व (ङ) एवं नियम 8 (2) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप खण्ड रख दिये जाय :– अर्थात्

नियम–4 का संशोधन

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4– सेवा का संवर्ग सेवा के सदस्य संख्या– (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक उप नियम (1) के अधीन	**4– सेवा का संवर्ग** सेवा के सदस्य संख्या– (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक उप नियम (1) के अधीन

परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट है। परन्तु (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट है ; परन्तु यह कि – (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।
(नियम–5 का संशोधन) **5– भर्ती का स्रोत** **(क) लेखा लिपिक/लेखा लिपिक(रोकड़):** 1. सीधी भर्ती द्वारा: अथवा 2. जिले के कोषगार/कोषागरों एवं उपकोषागारों में समूह "घ" के कर्मचारियों में से कार्मिक विभाग , उत्तराखण्ड शासन से समय–समय पर जारी निर्धारित प्रतिशत तक की पदोन्नति द्वारा। **(ग) लेखाकार/लेखाकार (रोकड़)** जिले के कोषागार/उप कोषागारों में स्थायी सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के पदधारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। जनपद में सृजित सहायक लेखाकार /लेखाकार (रोकड़) के पदों का 80	**5– भर्ती का स्रोत** **(क) लेखा लिपिक/लेखा लिपिक(रोकड़):** लेखा लिपिक का पद मृत संवर्ग का है। इसे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नहीं भरा जायेगा। लेखा लिपिक का पद रिक्त होते ही सहायक लेखाकार के पद पर स्वतः परिवर्तित हो जायेगा। **(ग) लेखाकार/लेखाकार (रोकड़)** जिले के कोषागार/उप कोषागारों में स्थायी रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़)(मृत संवर्ग) के पदधारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

प्रतिशत /20 प्रतिशत का अनुपात सुनिश्चित करते हुए लेखाकार के पदों पर पदोन्नत किया जायेगा अथवा पदों की संख्या हेतु समय–समय पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार पदनाम एवं संख्या (अनुपात) निर्धारित किया जायेगा।	
(घ) **सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़)** : सम्बद्ध जिले के कोषागार / कोषागारों में से कोषागार लेखाकार / कोषागार लेखाकार (रोकड़) के पदधारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(घ) **सहायक कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़)** : राज्य के कोषागारों में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकारों / लेखाकार (रोकड़) (मृत संवर्ग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	(ड़) **उप कोषाधिकारी** : कोषागार सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक कोषाधिकारियों / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) में से क्रमशः 87 प्रतिशत सहायक कोषाधिकारी संवर्ग से एवं 13 प्रतिशत सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) संवर्ग से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी–1** : (1) परिशिष्ट ''क'' में प्रदर्शित वर्तमान में कैश शाखा में कार्यरत मृत संवर्ग के पदधारक यथा सहायक रोकड़िया व उप रोकड़िया को

	सहायक लेखाकार तथा लेखाकार (रोकड़) को लेखाकार पदनाम किया गया है। इस संवर्ग में वर्तमान में कार्यरत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तक इनकी अपने–अपने संवर्ग में परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस नियमावली के लागू होने की तिथि को ''उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड़ शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1987'' के अनुसार अपने–अपने पोषक संवर्ग में रही हो। लेखाकार/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) तथा उप कोषाधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया इस नियमावली के नियम–5 तथा ''उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमावली, 2003'' के नियम–16 तथा इसके उपनियमों के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण की जायेगी।
8 **8–शैक्षिक अर्हता** (2) सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कामर्स में स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी तथा कम्प्यूटर संचालन में ''ओ'' लेविल प्रमाण–पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की–डिप्रेशन पर आवर की गति होनी चाहिए।	**8–शैक्षिक अर्हता** (2) सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bacholor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा भारत सरकार के संस्थान "Department of Electronics Accredited Computer Course" द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेविल प्रमाण पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की–डिप्रेशन प्रति घन्टे की गति होनी चाहिए।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

परिशिष्ट "क" नियम 4(2) का संलग्नक

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	उप कोषाधिकारी	रू0 15600–39100 / 5400	66
2.	सहायक कोषाधिकारी	रू0 9300–34800 / 4800	105
3.	सहायक कोषाधिकारी (रोकड़)	रू0 9300–34800 / 4800	17
4.	लेखाकार	रू0 9300–34800 / 4200	177
5.	सहायक लेखाकार	रू0 5200–20200 / 2800	326
6.	लेखा लिपिक	रू0 5200–20200 / 1900	17
	योग		**708**

नोट :– चूँकि लेखा लिपिक / लेखा लिपिक (रोकड़) का पद मृत संवर्ग का है। अतः लेखा लिपिक का पद रिक्त होते ही सहायक लेखाकार के पद पर स्वतः परिवर्तित हो जायेगा।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

D:/niyamawali koshagar 5